



बिहार सरकार

कार्यालय :- निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना।

Website: www.lnjporthohospital.org, E-mail- lnjpnhospital@gmail.com

आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत रोगियों को भोजन/नास्ता आपूर्ति हेतु निविदा



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अन्तर्गत रोगियों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना हैं, L-II स्तरीय द्रामा सेन्टर सहित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में 24X7 सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या 648(10) दिनांक 07/02/2015 के निदेशानुसार सरकारी अस्पतालों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत रोगियों को भोजन/नास्ता आपूर्ति हेतु इच्छुक गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोपार्टी/संवेदकों से कम्प्यूटरीकृत अंकित तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग दो लिफाफों में भर कर एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर व उक्त लिफाफे पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत रोगियों को भोजन/नास्ता आपूर्ति हेतु निविदा स्पष्ट रूप से अंकित कर निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन, अपराह्न पाँच बजे तक सिर्फ निर्बंधित डाक/स्पीड पोस्ट से निविदा प्राप्त की जायेगी, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस को अपराह्न 02.00 बजे निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के कार्यालय कक्ष में निविदा चयन/निर्धारण समिति के समक्ष प्राप्त निविदाएँ खोली जायेगी, निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जा सकती है। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय शर्तों कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna के नाम से रु0 1000/- का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट (Non-Refundable) बनाकर एक आवेदन (लेटर पैड पर) के माध्यम से कार्यालय में जमा करने के पश्चात् ही प्राप्त की जा सकती है, तत्पश्चात् ही संस्था निविदा डालने के लिए अधिकृत होगे, विस्तृत जानकारी के लिए संस्थान के वेबसाईट www.lnjporthohospital.org अथवा www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

- (क) संस्थान के अंतःकक्ष में भर्ती रोगियों को वित्तीय निविदा प्रारूप में दर्शाई गई निम्न मेनू के आधार पर भोजन/नास्ता उपलब्ध कराने हेतु (संस्था/निविदादाता के नाम से खरीदा हुआ शोरूम से निकाली गई ब्राण्डेड कम्पनी का सामग्री/उपकरण) से संबंधित बिन्दुवार शर्तोंनुकूल कार्यों एवं शर्तों की विवरणी निम्नलिखित है :-
 - (01) भोजन/नास्ता भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मानकों के अनुसार होना चाहिए।
 - (02) खाद्य सामग्रियों में वेजीटेबल ऑयल का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
 - (03) संस्थान द्वारा समय-समय पर कि गई औचक निरीक्षण के दौरान शिकायत मिलने पर ऑयल एवं अन्य खाद्य सामग्रियों का नमूना संग्रह कर उसे जाँच हेतु खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला को भेजा जायेगा, मिलावट पकड़े जाने पर एकरारनामा रद् कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए अगले दस वर्षों तक के लिए संस्था को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
 - (04) विभिन्न प्रकार के रोगियों जैसे डायबेटिक, रेनल वगैरह के अनुकूल Dietician/Nutritionist द्वारा निर्धारित मेनू के अनुरूप भोजन/नास्ता उपलब्ध कराना होगा।
 - (05) दुर्घटना से ग्रसित या किसी भी रोग से संबंधित भर्ती रोगी के परेशानी, लोक-लज्जा एवं मानवता को ध्यान में रखते हुए भोजन/नास्ता देने के समय रोगी का अंगूठा का निशान अथवा हस्ताक्षर किसी भी परिस्थिति में संस्था द्वारा नहीं कराना होगा, संस्था का भुगतान कार्यालय में उपलब्ध भर्ती रजिस्टर में अंकित रोगी के नाम की गणना के आधार पर किया जायेगा, महिला रोगियों को भोजन/नास्ता महिला कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
 - (06) मेनू के अनुरूप भोजन/नास्ता ताजा एवं स्वादिष्ट उपलब्ध कराना होगा।
 - (07) दुध, चाय, कॉफी, वेजिटेबल जूस वगैरह पैक कन्टेनर, जो नल लगा हुआ हो, से वितरण करना होगा।
 - (08) भोजन/नास्ता एकरारनामा में दर्शाये गये मेनू अनुरूप जो ब्राण्डेड कम्पनी के खंडा बना स्टील थाली/टीफिन अथवा रोगी अपने बर्तन में भोजन/नास्ता लेना चाहता है तो उक्त रोगी को रोगी के बर्तन में देना होगा।
 - (09) भर्ती रोगियों की सूची प्राप्त कर प्रतिरोधी को उनके बेड पर भोजन/नास्ता बैट्री युक्त रिमोट चालित ड्रॉली अथवा किसी भी प्रकार का सक्षम ड्रॉली द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
 - (10) आहार/पोषण विशेषज्ञ द्वारा जॉचोपरांत भोजन/नास्ता सही नहीं पाये जाने पर सक्षम पदाधिकारियों द्वारा संस्था से पुछा गया स्पष्टीकरण के माध्यम से प्राप्त असंतोष जवाब पाये जाने के पश्चात् संस्थान द्वारा उचित कानूनी कार्यवाही किया जायेगा।

Banda
01-10-22

- (11) भोजन/नास्ता का मेनू एवं मुल्य तालिका के अनुरूप प्रदर्शित करने हेतु 5 फुट x 3 फुट प्लाई/स्टील बोर्ड अथवा लोहे के चदरा पर लिखा हुआ (संस्थान भवनों में सात पीस, रसोई घर के मुख्य द्वार पर एक पीस एवं संस्थान परिसर में सात पीस जिसका जगह का निर्धारण संस्थान द्वारा किया जायेगा) टांगना होगा।
- (12) संस्थान में किये जाने वाले सभी तरह के सरकारी कार्यक्रमों अथवा चिकित्सा पदाधिकारियों/कर्मियों/भर्ती रोगियों/आम रोगियों एवं रोगियों के परिजनों के लिए भोजन, नास्ता एवं चाय वगैरह की संस्थान द्वारा निर्धारित दर अथवा सामग्रियों पर अंकित MRP दर एवं GST कर (अगर GST लागू हो तो) पर समुचित व्यवस्था के तहत उपलब्ध करना होगा, जिसके लिए एक केंटीन भी खोलना होगा।
- (13) रोगियों को आपूर्ति किया गया भोजन/नास्ता से संबंधित (जिसकी सम्पुष्टि संस्थान के किसी भी पदाधिकारी/कर्मी द्वारा कराने के पश्चात् ही संस्था को भुगतान किया जायेगा, किसी भी परिस्थिति में बिना सम्पुष्टि के संस्था को भुगतान नहीं किया जायेगा) विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान किया जायेगा।

- (ख) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का तकनीकी निविदा हेतु शर्तों एवं योग्यताओं से संबंधित सभी प्रमाण—पत्रों की स्वअभिप्राप्ति तकनीकी निविदा आवेदन (प्रारूप में प्रमाण—पत्रों एवं संबंधित कागजातों की संख्या दर्शाते हुए) के साथ संलग्न करना होगा :-
- (01) निविदादाता द्वारा निर्गत तकनीकी निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक सहित)।
- (02) गैर सरकारी संस्थाओं का सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एकट 21,1860 के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा कम्पनियों का कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एकट “1953” के अधीन निबंधित होना चाहिए, का प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (03) निविदा आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में ₹०—1,00,000/- (एक लाख रु०) मात्र (चयनित संस्था का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट एकरानामा अवधि तक Non-Refundable) का राष्ट्रीयकृत/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्रॉफ्ट जो Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna. के नाम देय होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (04) ESIC निबंधन प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (05) EPF निबंधन प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (06) बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एकट “1953” के अधीन निबंधन प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (07) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों के नाम का पैन कार्ड की छाया—प्रति संलग्न करना होगा, यदि निविदादाता फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का प्रोप्राईटर हैं तो निविदादाता का पैन कार्ड की छाया—प्रति संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (08) GST निबंधन प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (09) उद्योग विभाग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) द्वारा निर्गत अद्यतन UDYAM निबंधन प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (10) खाद्य अनुज्ञाप्ति निबंधन प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (11) निविदादाता का अपने संस्था के नाम से खोली गई Current Account अथवा C.C.Account के तहत बैंक द्वारा निर्गत 1,00,000/- रुपये तक का Solvency Certificate अथवा 1,00,000/- रुपये का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट जो Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna. के नाम देय होगा, संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (12) Current Account अथवा C.C.Account (सिर्फ एक बैंक का स्टेटमेंट, जो बैंक मैनेजर द्वारा अभिप्राप्ति हो) का प्रथम पृष्ठ की प्रति जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद बैंक द्वारा निर्गत हो, संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले के बैंक खाते का होना चाहिए।
- (13) विगत तीन वर्षों (Assessment Year AY- 2019-20, 2020-21, 2021-22) का आयकर Return प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।
- (14) किसी भी क्षेत्र के व्यवसाय में विगत तीन वर्षों (Financial Year FY- 2018-19, 2019-20, 2020-21) का मिलाकर कुल टर्न ओवर 2,50,00,000/- (दो करोड़ पचास लाख रुपये) होने का मान्यता प्राप्त चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना होगा।
- (15) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (पदधारक एवं सदस्यों का पदनाम सहित अलग—अलग शपथ—पत्र बना होना चाहिए) पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय या थाना में वाद लग्भित नहीं है एवं ना ही किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

- (16) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (पदधारक एवं सदस्यों का पदनाम सहित अलग—अलग शपथ—पत्र बना होना चाहिए) पर निविदा प्रकाशन के पिछले माह तक देश के किसी भी राज्य में सरकारी/अर्द्धसरकारी बिजली बिल/मकान कर का भुगतान लम्बित नहीं है, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (17) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय या थाना में वाद लम्बित नहीं है एवं ना ही किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है एवं ना ही किसी भी न्यायालय में वाद/सुनवाई के क्रम/हस्तक्षेप पर कार्यादेश/एकरारनामा रद्द किया गया है तथा ना ही संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (18) संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों का आवास (स्थाई/अस्थाई, जो वर्तमान जिला में आवास है) का अद्यतन आवासीय प्रमाण—पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) (पदधारक एवं सदस्यों का अलग—अलग आवासीय प्रमाण—पत्र बना होना चाहिए) संलग्न करना होगा।
- (19) संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (स्थाई/अस्थाई, जो वर्तमान जिला में आवास है) का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण—पत्र (पदधारक एवं सदस्यों का अलग—अलग अद्यतन चरित्र प्रमाण—पत्र बना होना चाहिए) संलग्न करना होगा।
- (20) संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों का आधार कार्ड की प्रति (पदधारक एवं सदस्यों का अलग—अलग आधार कार्ड बना होना चाहिए) संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (21) संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों का पैन कार्ड की प्रति (पदधारक एवं सदस्यों का अलग—अलग पैन कार्ड बना होना चाहिए) संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (22) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक कर्मी एक दिन के एक पाली यानी आठ (08) घंटा ही कार्य करेंगे एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित मानदेय/मजदूरी, दर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कर्मियों को कर्मियों के बैंक खाता में मानदेय/मजदूरी, का भुगतान करने सहित दूसरे सप्ताह के अंदर ESIC,EPF वगैरह की कुल राशि संबंधित विभाग में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा, तत्पश्चात् ही संस्था द्वारा जमा किया गया संबंधित माह का विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (23) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (पदधारक एवं सदस्यों का पदनाम सहित अलग—अलग शपथ—पत्र बना होना चाहिए) द्वारा शराब निर्माण/बिक्री/परिचालन या उपभोग एवं ना ही दहेज लेने एवं देने में संलिप्तता की बात प्रकाश में आती है तो तत्काल संस्था का एकरारनामा रद्द करते हुए संस्थान द्वारा संस्था को अगले दस वर्षों तक काली सूची में डालने का अधिकार होगा, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (24) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था द्वारा बिहार श्रम नियमावली के अन्तर्गत राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा अधिनियमित श्रम अधिनियमियों के अन्तर्गत विहित प्रावधानों का अक्षरक्ष पालन किया जायेगा, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (25) नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था पर बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी स्तर के किसी भी विभाग/कार्यालय/संस्थान/स्वास्थ्य संस्थान में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (आउट—सोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार—बार मौखिक अथवा लिखित के बावजूद संस्था द्वारा कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार कार्यादेश/एकरारनामा रद्द किया गया हो अथवा स्वास्थ्य संस्थान, विभाग, कार्यालय, संस्थानों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार संस्था से मांगी गई स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्टीकरण को दरकिनार कर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया हो अथवा किसी कारणवश मांगी गई स्पष्टीकरण के तहत संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोष होने के आलोक में तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा किसी भी कारणवश तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा छल से निविदाशर्तानुकूल कमवार कागजातों को दरकिनार कर कंडी कागजात तकनीकी आवेदन के साथ संलग्न किये बिना निविदा में सफल होने का आरोप लगा हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण—पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम विभाग/सक्षम कार्यालय/सक्षम संस्थान द्वारा किया गया सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप लगा हो) नहीं लगा हो, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

- (ग) वित्तीय निविदा से संबंधित बिन्दुवार शर्तोनुकूल अवलोकन पश्चात् सभी प्रकार का खर्च जोड़कर वित्तीय प्रारूप में दर अंकित करना होगा, जिससे न्यूनतम दर के आधार पर L1 का चयन किया जायेगा, के आलोक में पूर्ण विवरणी :-
- (01) स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या-648(10) दिनांक: 07.09.15 के द्वारा सरकारी अस्पताल में पथ्य (फुल डायट नार्मल Energy & 3500 kcal/protein-100gm) की अधिकतम दर 97.69 रु० प्रतिरोगी प्रतिदिन निर्धारित किया गया है, से संबंधित संस्था द्वारा रोगियों के लिये भोजन/नास्ता आपूर्ति हेतु प्रतिदिन प्रतिरोगी जो सरकार द्वारा निर्धारित दर से 10 (दस) प्रतिशत से ज्यादा कम न हो का दर वित्तीय निविदा में अंकित करना होगा।
- (A) निविदा में सफल होने की लिखित सूचना प्राप्त होने के पश्चात् का ही संस्था/निविदादाता के नाम से कमर्शियल रसोई गैस सिलेन्डर, फिज, एवं सभी प्रकार के सामग्री/उपकरण (शोरूम से निकाली गई ब्रांडेड कम्पनी का नई सेट) खरीदा हुआ होना चाहिए।
- (B) कमर्शियल रसोई गैस सिलेन्डर वगैरह खराब होने की स्थिति में भोजन/नास्ता बनाने में किसी प्रकार की कार्य बाधित नहीं हो, के आलोक में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत एकरारनामा अवधि तक कार्य की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए संस्था/निविदादाता के नाम से खरीदा हुआ ब्रांडेड कम्पनी का एक अतिरिक्त कमर्शियल रसोई गैस सिलेन्डर (संस्थान द्वारा निर्गत कार्यादेश तिथि से विगत तीन वर्षों के अंदर का ही संस्था/निविदादाता के नाम से खरीदा हुआ हो) से संबंधित सभी प्रमाण-पत्र, केशमेमों, कागजातों की मूलप्रति की अभिप्रमाणित छायाप्रति संस्थान के कार्यालय कक्ष में जमा करना होगा।
- (C) अतिरिक्त कमर्शियल रसोई गैस सिलेन्डर परिसर स्थित निर्धारित जगह पर संस्था द्वारा लगायें गये जेनरेटर के आस-पास (जिसकी दूरी 20 फीट हो) पूरी व्यवस्था के साथ रखना होगा।
- (D) अतिरिक्त कमर्शियल रसोई गैस सिलेन्डर हेतु संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान संस्था को नहीं की जायेगी यानि अतिरिक्त कमर्शियल रसोई गैस सिलेन्डर बिल्कुल निःशुल्क रहेगा।
- (E) यदि कार्यादेश तिथि से 90 दिनों तक संस्था द्वारा अतिरिक्त कमर्शियल रसोई गैस सिलेन्डर संस्थान में उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो उक्त परिस्थिति में एकरारनामा रद्द करने का अधिकार संस्थान द्वारा गठित समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
- (02) (A) गर्मी के मौसम हेतु चिकित्सा पदाधिकारियों/कर्मियों/भर्ती रोगियों/आम रोगियों एवं रोगियों के परिजनों के लिए ठंडा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने हेतु ब्रांडेड कम्पनी का एक (01) (RO Machine/ Water Purifier) रसोई घर में लगाने सहित रख-रखाव करना होगा।
- (B) जाड़े के मौसम एवं अन्य मौसम/समय हेतु चिकित्सा पदाधिकारियों/कर्मियों/भर्ती रोगियों/आम रोगियों एवं रोगियों के परिजनों के लिए गरम पानी की व्यवस्था कराने हेतु ब्रांडेड कम्पनी का पानी गर्म करने वाला (01) उपकरण रसोई घर में लगाने सहित रख-रखाव करना होगा।
- (03) (A) निविदा में सफल होने की लिखित सूचना प्राप्त होने के 21 दिनों के अंदर संस्था/निविदादाता के नाम से खरीदी गई सभी प्रकार के सामग्री/उपकरण (शोरूम से निकाली गई ब्रांडेड कम्पनी का नई सेट) से संबंधित सभी प्रमाण-पत्र, केशमेमों, कागजातों की मूलप्रति की अभिप्रमाणित छायाप्रति संस्थान के कार्यालय कक्ष में जमा करना होगा।
- (B) निविदा में सफल होने की लिखित सूचना प्राप्त होने के 21 दिनों के अंदर संस्था/निविदादाता के नाम से खरीदी गई सभी प्रकार के सामग्री/उपकरण (शोरूम से निकाली गई ब्रांडेड कम्पनी का नई सेट) से संबंधित, संस्थान स्थित निर्धारित जगह पर उपलब्ध करना होगा, तत्पश्चात् ही संस्था के साथ संस्थान द्वारा एकरारनामा किया जायेगा।
- (04) रोगी के हित में भवनों का विस्तार किया जा रहा है, विस्तार होने के उपरान्त संबंधित कार्यों में क्षमता की वृद्धि हो जायेगी, उक्त परिस्थिति में शर्तोनुकूल संबंधित कार्य एकरारनामा अवधि तक करना होगा, उसके लिए निविदा चयन समिति द्वारा अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान हेतु निर्धारित L1 दर के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
- (05) आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अंतर्गत 24X7 के तहत कराई जा रही कार्य के आलोक में संस्था द्वारा वित्तीय निविदा में GST एवं अन्य प्रकार का कर छोड़कर (सरकार द्वारा समय-समय पर GST एवं अन्य प्रकार का कर में की जाती रही संशोधन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय निविदा के दर में GST एवं अन्य प्रकार का कर नहीं जोड़ना है) सिर्फ सामग्रियों, सभी स्तर के कर्मियों का मानदेय, ESIC,EPF सहित सभी प्रकार का खर्च जोड़कर एकमुश्त दर अंकित करना होगा।
- (A) संस्था द्वारा संस्थान में कि जा रही अपने कार्यों कि प्रत्येक पाली की निगरानी हेतु निविदा शर्तोनुकूल संबंधित कार्य अनुकूल सुपरवाईजर रखना होगा, जो एक दिन के एक पाली यानी आठ (08) घंटा हीं कार्य करें,

इसलिए प्रत्येक पाली के आधार पर तीनों पाली मिलाकर तीन (03) सुपरवाईजर, जो 24X7 के तहत तीनों पाली के अवधि तक रखना होगा, जिसका कार्य निविदा शर्तोनुकूल आउटसोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कार्यों एवं शर्तों का सुचारू रूप से संचालन करने सहित संस्था द्वारा संस्थान में कि जा रही अपने कार्यों से संबंधित कर्मियों की उपरिधि एवं लॉगबुक का समय संधारण करना होगा।

(B) 24X7 के तहत यथा—एक पाली यानि 8 घंटा × 1 कर्मी × 3 पाली के तहत कार्य करने हेतु कुल तीन (03) कर्मियों को रखना होगा।

(C) कर्मियों से संबंधित निर्धारित अवकाश सहित समय—समय पर किसी Occasion/अवसर पर कर्मियों द्वारा लिया गया अवकाश के दिन संबंधित कार्य में किसी भी प्रकार का Blockage/अवरोध उत्पन्न नहीं हो, को ध्यान में रखते हुए उक्त दिनों में निविदा शर्तोनुकूल कार्य करने हेतु एक अतिरिक्त कर्मी एवं एक अतिरिक्त सुपरवाईजर रखना होगा।

(D) संस्था द्वारा संस्थान में उपलब्ध कराई गई कमर्शियल रसोई गैस सिलेन्डर वगैरह में अचानक खराबी यदि होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अविलम्ब भोजन/नास्ता संबंधित उपकरणों की मरम्मती एवं रख—रखाव हेतु एक मिस्त्री कार्यालय अवधि तक रखना होगा, जो कार्यालय अवधि के अतिरिक्त आवश्यकतानुकूल ऑन कॉल भी उपलब्ध हो सके।

(E) सभी स्तर के कर्मियों का मानदेय, ESIC,EPF संबंधित सभी प्रकार का खर्च जोड़कर एकमुश्त दर अंकित करना होगा।

(F) कर्मियों की विवरणी संस्था द्वारा प्रतिमाह अपने किये गए कार्यों के आलोक में विपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

(06) सर्विस चार्ज संबंधित सभी प्रकार का खर्च जोड़कर एकमुश्त दर अंकित करना होगा।

(07) भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत TDS कटौती करने के उपरांत हीं विपत्र का भुगतान किया जायेगा।

(08) वित्तीय निविदा में GST एवं अन्य प्रकार का कर रहित दर अंकित करना हैं।

(09) संस्था द्वारा संस्थान में आउटसोर्सिंग संबंधित कार्य को प्रतिमाह निष्पादन करने के पश्चात् प्रतिमाह अपने किये गए कार्यों के आलोक में विपत्र पर अंकित राशि के अतिरिक्त GST एवं अन्य प्रकार का कर जोड़ कर सक्षम कार्यालय में विपत्र जमा करना होगा।

(10) संस्था एवं संस्था द्वारा बहाल कर्मियों को ESIC द्वारा निर्गत नियमावली/मापदंड एवं शर्तों का पालन करने सहित ESIC संबंधित कुल राशि सक्षम विभाग में जमा करना होगा, तत्पश्चात् हीं उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान संस्थान द्वारा संस्था को किया जायेगा।

(11) संस्था एवं संस्था द्वारा बहाल कर्मियों को EPF द्वारा निर्गत नियमावली/मापदंड एवं शर्तों का पालन करने सहित EPF संबंधित कुल राशि सक्षम विभाग में जमा करना होगा, तत्पश्चात् हीं उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान संस्थान द्वारा संस्था को किया जायेगा।

(12) सरकार के अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत विभागीय पत्रांक 241(1) दिनांक 26/02/2020 के आलोक में संस्था एवं कर्मियों द्वारा पालन करने के पश्चात् हीं उक्त माह का भुगतान संस्थान द्वारा संस्था को किया जायेगा।

(13) प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कर्मियों का सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय/मजदूरी, भुगतान सहित दूसरे सप्ताह के अन्दर ESIC,EPF वगैरह का भुगतान संस्था द्वारा जमा करने के पश्चात् हीं संस्थान द्वारा संस्था को उक्त माह का भुगतान किया जायेगा, निर्धारित समय पर संस्था द्वारा कर्मियों को भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में संबंधित माह का एक (01) तारीख से लेकर कर्मियों को भुगतान करने कि तिथि तक एक (01) सौ रुपया प्रतिदिन प्रतिकर्मी के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती की जायेगी।

(14) प्रत्येक माह के विपत्र के साथ चयनित संस्था द्वारा कर्मियों को कि गई विगत माह का वेतनादि भुगतान संबंधित उक्त कर्मियों का बैंक पासबुक अथवा बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति एवं ESIC,EPF कटौती से संबंधित विगत माह जमा की गई राशि का चालान सहित विगत माह GST मद में जमा की गई राशि का चालान वगैरह (निविदा आमंत्रण सूचना के साथ अंतिम पृष्ठ पर संलग्न प्रारूप में साक्ष्य के तहत कमवार भरकर देना होगा) का संबंधित विभाग अथवा ऑनलाईन सत्यापन करने/कराने के पश्चात् सही पाये जाने पर हीं संस्थान द्वारा संस्था को भुगतान किया जायेगा, संबंधित चालान एवं कागजातों कि अभिप्रामाणित छायाप्रति प्रत्येक विपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

(15) संस्था द्वारा कर्मियों को संस्थान में कार्य करने से पहले कर्मियों को नियुक्ति पत्र देना होगा।

(16) निविदा में सफल उपरान्त संस्थान में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निविदादाता को letter of intent, agreement पश्चात् work order दिया जायेगा।

- (17) कार्य आवंटन हेतु चयनित संस्था को आशय—पत्र प्राप्त होने के 21 दिनों के अंदर Performance Security के रूप में संस्था को एक वर्ष की अवधि में अनुमानित कुल भुगतेय राशि का दस प्रतिशत (Refundable) तक “Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna” के पक्ष में भुगतेय किसी भी राष्ट्रीयकृत/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड झॉफ्ट अथवा बैंक गारन्टी अथवा Fixed deposit संस्था द्वारा जमा करना होगा, तत्पश्चात् संस्था के साथ एकरारनामा कर कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
- (18) निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि संस्थान का भली—भाँति निरीक्षण एवं निविदा में दर्शाई गई सभी बिन्दुवार शर्तों का अवलोकन एवं अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा समर्पित करना उनके लिए श्रेयस्कर होगा।
- (19) यदि सरकार द्वारा दिशा—निर्देश में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन कर सरकार द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश का पालन करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
- (20) किसी कारण से कार्यादेश निर्गत नहीं होने के आलोक में वित्तीय निविदा खोलने के 120 दिन तक ही निविदा की वैद्यता होगी, के आलोक में संस्थान द्वारा निविदा रद्द की जा सकती है।
- (21) यदि दो या दो से अधिक निविदादाता का वित्तीय निविदा में दर समान पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में लॉटरी के माध्यम से कार्य आवंटन कर कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

(घ) तकनीकी एवं वित्तीय निविदा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शर्तों की पूर्ण विवरणी :—

- (01) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों के अध्यक्ष अथवा सचिव, फर्म/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों का प्रोग्राइटर ही निविदा डालने हेतु निविदादाता के रूप में अधिकृत होंगे, किसी भी परिस्थिति में संस्था के अन्य पदधारक, सदस्य अथवा अन्य कोई व्यक्ति निविदा डालने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
- (02) वैश्विक महामारी/आपातकाल के समय सरकार की शर्तानुकूल कार्य करना होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (03) संस्था द्वारा बिहार श्रम नियमावली के अन्तर्गत राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा अधिनियमित श्रम अधिनियमियों के अन्तर्गत विहित प्रावधानों का अक्षरशः पालन करना होगा।
- (04) चयनित संस्था द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र संलग्न करना होगा कि संस्था द्वारा विभिन्न पदों पर बहाल कर्मियों (विभिन्न पदों पर बहाल कर्मियों का पदनाम सहित अलग—अलग शपथ—पत्र बना होना चाहिए) पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय अथवा किसी विभाग/कार्यालय/थाना/संस्थान द्वारा दण्डित नहीं किया गया है, संस्था द्वारा संस्थान में कर्मियों को बहाली संबंधित नियुक्ति पत्र के साथ शपथ—पत्र संलग्न करना होगा, जो कर्मियों द्वारा कार्य प्रारम्भ तिथि तक शपथ—पत्र बनवाकर संस्थान के कार्यालय कक्ष में जमा करना होगा।
- (05) चयनित संस्था द्वारा कर्मियों का आवास (स्थाई/अस्थाई, जो वर्तमान में है) का अद्यतन आवासीय प्रमाण—पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) एवं उक्त जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण—पत्र (आवास एवं चरित्र दोनों प्रमाण—पत्र) सहित जाति एवं कोटि प्रमाण—पत्र, कर्मियों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक सहित मानदेय, ESIC. NO, EPF. NO, की स्वअभिप्रामाणित छायाप्रति प्रत्येक विपत्र के साथ संस्थान के कार्यालय कक्ष में जमा करना होगा।
- (06) संस्था द्वारा उपलब्ध कर्मी को किसी भी समय पद के अनुरूप कार्य करने में असक्षम पाया जाता है या उनके कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता पाई जाती है या उनके द्वारा किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/अपराध या कदाचार करते हुए पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में संस्था द्वारा वैसे कर्मियों को अविलम्ब हटाते हुए दूसरे कर्मियों को उपलब्ध कराना होगा, साथ ही उक्त कर्मियों को कार्य मुक्त करते हुए उचित फोरम पर कर्मियों के विरुद्ध नियमानुकूल कारबाई करने का अधिकार संस्थान या संस्था के पास सुरक्षित रहेगा।
- (07) संस्था द्वारा उपलब्ध कर्मी यदि काम छोड़ना चाहता है तो उसे कार्य मुक्त करने से पूर्व उस पद के लिए योग्य व्यक्ति को संस्था द्वारा संस्थान में उपलब्ध कराना होगा।
- (08) संस्था द्वारा उपलब्ध कर्मियों को संस्थान के द्वारा कोई आवास/यात्रा या संबंधित भत्ता जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
- (09) संस्था को किसी भी संस्थान द्वारा पूर्व में काली सूची में डाला गया हो इसकी जानकारी प्राप्त होने पर उनके साथ हुए एकरारनामा एवं उनके पक्ष में निर्गत कार्यादेश को तत्काल रद्द करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित होगा।
- (10) संस्था के द्वारा कार्यों से संबंधित लॉगबुक का संधारण करना होगा, जिसका प्रारूप संस्थान द्वारा निर्गत किया जायेगा।
- (11) निविदा आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण—पत्रों/कागजातों/शपथ—पत्र में दर्शाई गई सूचना का संस्थान द्वारा संबंधित विभाग से सत्यापन कराने व सत्यापन कराने के दौरान सही एवं सत्य पाये जाने के पश्चात् ही संस्था द्वारा किये गये कार्यों के आलोक में विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान संस्था को संस्थान द्वारा किया जायेगा।

- (12) किसी भी आम नागरिक (नाम या बगैर नाम) द्वारा निविदा शर्तोनुकूल संस्था द्वारा उल्लंघन कर डाले गये निविदा संबंधित साक्ष्य के तहत संस्था के विरुद्ध संस्थान को आवेदन प्राप्त होता है तो उक्त परिस्थिति में प्राप्त आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों/साक्ष्य के आधार पर सत्यता की सत्यापन कराने के पश्चात् ही संस्था द्वारा जमा किया गया विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान संस्थान द्वारा संस्था को किया जायेगा यदि सत्यापन के दौरान आवेदक द्वारा लगाये गये आरोप सही एवं सत्य पाया जाता है तो निविदा शर्तोनुकूल उक्त दिनांक को ही संस्था पर कानूनी कार्रवाई करते हुए विपत्र पर अंकित राशि एवं अग्रधन राशि सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करने सहित संस्थान द्वारा संस्था को पूर्व में किये गये भुगतान राशि की वसूली कर सरकारी खजाने में जमा करते हुए अगले दस वर्षों तक के लिए संस्था को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
- (13) किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्तर के व्यापार करने वाले कोई भी व्यापारी इस निविदा में इस शर्त के तहत भाग ले सकते हैं, बशर्ते शर्त “ख” में दर्शाई गई बिन्दुवार शर्तों का पालन करते हो।
- (14) तकनीकी निविदा आवेदन के साथ संलग्न किए गए प्रमाण—पत्रों में से जिन प्रमाण—पत्रों की अवधि निर्धारित है, यदि एकरारनामा समाप्त होने की तिथि से पहले प्रमाण—पत्रों की अवधि समाप्त होती है तो अवधि समाप्त होते हीं उक्त प्रमाण—पत्रों का सेवा विस्तार संबंधित सक्षम विभाग से करा कर संस्थान के सक्षम कार्यालय में जमा करना होगा।
- (15) तकनीकी निविदा बिन्दुवार शर्तोनुकूल किसी निविदादाता द्वारा निविदा आवेदन के साथ एक भी शर्त पूरा नहीं करते हैं तो उक्त परिस्थिति में उक्त निविदादाता का तकनीकी निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा, यथा सभी शपथ—पत्र एवं प्रमाण—पत्रों को निविदा आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (16) तकनीकी निविदा आवेदन के साथ संलग्न तकनीकी प्रमाण—पत्रों के सत्यापन के दौरान निविदादाता द्वारा सभी शर्तों को पूरा करता है तो उक्त परिस्थिति में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा चयन निर्धारण समिति के समक्ष खोला जायेगा।
- (17) निविदा आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण—पत्र निविदा प्रकाशन के पूर्व का निर्बंधित अथवा सेवा विस्तार होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में वैसे प्रमाण—पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे, जिसका निर्बंधन अथवा सेवा विस्तार के लिए संबंधित विभाग में आवेदन (अल्लाई फॉर) दिया गया हों।
- (18) निविदा आवेदन में किसी प्रकार का कटिंग अथवा हाथ से लिखा हुआ निविदा आवेदन (तकनीकी/वित्तीय) अथवा ओवर राईटिंग स्वीकार नहीं किया जायेगा अन्यथा उक्त स्थिति में निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (19) कर्मियों के कार्य प्रारम्भ की तिथि के दिन को कर्मियों की सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र से ज्यादा एवं न्यूनतम 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, कर्मियों द्वारा कार्य करने के दौरान उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाती है तो उक्त परिस्थिति में सरकार द्वारा 60 वर्ष से ऊपर कार्य करने से संबंधित नियमावली यदि होती है तो संस्था द्वारा उक्त कर्मियों को कार्य करने हेतु पुनः रखा जा सकता है, कर्मियों की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, योगदान से पूर्व सभी कर्मियों का स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र समर्पित करना होगा।
- (20) निविदा शर्तोनुकूल सेवा उपलब्ध कराने हेतु आनेवाली सभी प्रकार का खर्च निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा, (इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा)।
- (21) किये गये कार्य का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा, भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर ब्याज देय नहीं होगा, इस कार्य के लिये किसी भी प्रकार की अप्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (22) यह कार्य आउटसोर्सिंग व्यवस्था के आधार पर किया जा रहा है, इसके अंतर्गत संस्था द्वारा उपलब्ध किसी भी कर्मी का सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- (23) यदि संस्था बीच में कार्य बाधित करती है तो उक्त परिस्थिति में संस्था के द्वारा अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- (24) निविदा आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण—पत्र/कागजात को निर्गत विभागों द्वारा वित्तीय निविदा खोलने से पूर्व/पश्चात् अथवा एकरारनामा होने के पूर्व/पश्चात् अथवा कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व/पश्चात् अथवा किसी भी समय जांचोपरान्त फर्जी पाई जाती है अथवा शपथ—पत्र में गलत सूचना देते हैं तो निविदादाता के विरुद्ध अविलम्ब स्थानीय थाना में एफओआईओआर० दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा तत्काल उक्त संस्था को अगले 10 वर्षों तक के लिए काली सूची में नाम दर्ज करते सहित निविदा आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
- (25) कर्मियों को संस्थान के सभी स्तर के पदाधिकारियों, कर्मियों, भर्ती रोगियों, आम रोगियों एवं रोगियों के परिजनों के प्रति व्यवहार मृदु एवं सहयोगात्मक होना चाहिए, यदि व्यवहार संस्थान द्वारा अच्छा नहीं पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में वैसे कर्मी को तत्काल हटाते हुए नए कर्मी को संस्था द्वारा रखना होगा।
- (26) संस्थान एवं संस्था के बीच तीन वर्षों के लिए कार्य करने हेतु एकरारनामा करने के पहले संस्था द्वारा संतोषप्रद कार्य किया जा रहा है या नहीं को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा संस्था को संतोषप्रद कार्य करने हेतु (TRIAL

- BASIS परीक्षण के आधार पर) सिर्फ बारह (12) माह के लिए एकरारनामा पश्चात् कार्यादेश निर्गत किया जायेगा, संस्था द्वारा निविदा शर्तोनुकूल बिन्दुवार एवं क्रमवार सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात् एवं कार्य संतोषप्रद रहने पर इस संस्थान की निविदा निर्धारण समिति अथवा रोगी कल्याण समिति अथवा निदेशक के अनुमोदनोपरांत तीन (03) वर्षों के लिए एकरारनामा संस्थान एवं संस्था के बीच किया जायेगा, संस्था द्वारा बारह (12) माह के अन्दर आउटसोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित निविदा शर्तोनुकूल बिन्दुवार एवं क्रमवार कार्य पूरा नहीं करते हैं तो उक्त परिस्थिति में संस्थान द्वारा संस्था के विरुद्ध नियमानुकूल निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (27) सेवा संतुष्टि के आधार पर सामग्रियों की महंगाई एवं अन्य प्रकार का खर्च की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित L1 दर से (सरकार द्वारा बढ़ोतरी के आलोक में) बढ़ोतरी करते हुए पुनः तीन वर्षों के लिए विस्तारित किया जायेगा, तथा आगे कार्य करने हेतु प्रत्येक तीन वर्षों के पश्चात् बढ़ोतरी दर को L1 दर मान कर सेवा संतुष्टि के आधार पर प्रत्येक तीन वर्षों पर (सरकार द्वारा बढ़ोतरी के आलोक में) बढ़ोतरी करते हुए विस्तारित किया जायेगा।
- (28) समय—समय पर सरकार द्वारा निर्धारित कर्मियों का मानदेय/मजदूरी, ESIC, EPF, अन्य प्रकार के भत्ते, (सरकार द्वारा किसी प्रकार कि कमी या वृद्धि की जाती है के आलोक में संस्था द्वारा कर्मियों को देय होगा) तत्पश्चात् संस्थान द्वारा संस्था को संबंधित माह का विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान किया जायेगा।
- (29) निविदा में सफल होने के पश्चात् सिर्फ निविदादाता यथा संस्था का अध्यक्ष या सचिव या प्रोपराईटर (इस शर्त पर एकरारनामा किया जायेगा जब संस्था के सभी पदधारक, सदस्य प्रितिनिधि नहीं} संस्थान के साथ एकरारनामा करने हेतु निर्धारित तिथि को अधिकृत सक्षम पदाधिकारी के समक्ष अपने पहचान—पत्र के साथ उपस्थित रहेंगे यदि निर्धारित तिथि के दिन एक भी पदधारक अनुपस्थित पाये जाते हैं तो उक्त परिस्थिति में संस्थान द्वारा संस्था के साथ एकरारनामा नहीं कर L2 दर वाले संस्था के साथ L2 दर को L1 दर मान कर एकरारनामा कर दिया जायेगा) को अद्योहस्ताक्षरी के साथ 1000/-NON JUDICIAL STAMP पर एकरारनामा करना होगा।
- (30) संस्थान के पास बिना कारण बताते हुए निविदा पुर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा एवं संस्थान का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना, बिहार होगा।
- (31) L1 दर से लेकर वित्तीय निविदा में सभी संस्था द्वारा क्रमवार अंकित दर के आधार पर एक क्रमवार पैनल बनाकर कार्यालय में रखा जायेगा, बीच में कार्य छोड़कर जाने वाले अथवा किसी भी आरोप के कारण बर्खास्त/रद्द किये गये संस्था से हुई रिक्तियों को इसी पैनल के L2 दर अंकित करने वाले संस्था से L1 के दर पर उक्त कार्य कराया जायेगा, यदि L1 के दर पर L2 दर अंकित करने वाली संस्था असमर्थता जताती है तो उक्त परिस्थिति में L3 से लेकर सभी तकनीकी रूप से सफल संस्था से L1 दर पर कार्य करने हेतु इच्छुक संस्थाओं को क्रमवार अवसर प्रदान किया जाएगा, साथ हीं L1 दर अंकित करने वाले संस्था द्वारा जमा की गई अग्रधन राशि संस्थान द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।
- (32) L1 दर से लेकर वित्तीय निविदा में सभी संस्था द्वारा क्रमवार अंकित दर के आधार पर एक क्रमवार पैनल बनाकर कार्यालय में रखा जायेगा, कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व/पश्चात् L1 दर अंकित करने वाले संस्था द्वारा अपने निविदा आवेदन के साथ जमा किये गये कागजातों को संस्थान द्वारा सत्यापन (निर्गत विभागों से) कराने के दौरान फर्जी पाई जाती हैं अथवा निविदा शर्तोनुकूल प्रमाण—पत्रों/कागजातों की संख्या में कमी पाई जाती है तो L2 दर अंकित करने वाले संस्था को L2 दर को L1 दर मान कर L2 दर पर कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा।
- (33) संस्था के तहत बहाल कर्मियों का सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बीमा कपंनी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत किसी भी प्रकार का कैशलेश अथवा कैशलेश जैसा स्वास्थ्य बीमा (कम से कम पाँच लाख रुपया प्रतिवर्ष) अनिवार्य होना चाहिए, Policy Bond की छायाप्रति कर्मियों से प्राप्त कर संस्था द्वारा संस्थान में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम कार्यालय में जमा करना होगा, तत्पश्चात् हीं संस्थान में तीन माह के पश्चात् कर्मियों को कार्य करने हेतु अनुमति दिया जायेगा।
- (34) संस्था के तहत बहाल कर्मियों का सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बीमा कपंनी द्वारा निर्गत पेंशन योजना अन्तर्गत किसी भी प्रकार का पेंशन अथवा पेंशन जैसा पेंशन बीमा (कम से कम पाँच हजार रुपया प्रतिमाह, जो किसी भी न्यूनतम उम्र से अधिकतम कम से कम 75 वर्षों तक पेंशन प्राप्त होता रहे) अनिवार्य होना चाहिए, Policy Bond की छायाप्रति कर्मियों से प्राप्त कर संस्था द्वारा संस्थान में कार्य प्रारम्भ करने के तीन माह के अन्दर सक्षम कार्यालय में जमा करना होगा, तत्पश्चात् हीं संस्थान में तीन माह के पश्चात् कर्मियों को संस्थान में आगे कार्य करने हेतु अनुमति दिया जायेगा।
- (35) कार्य अवधि के समय कर्मियों द्वारा संस्थान एवं संस्था का नाम, पदनाम छपा हुआ निर्धारित पोशाक/समय पर कर्मियों को कार्य करते हुए नहीं पाये जाने पर उक्त कर्मियों के मानदेय से एक सौ रुपया प्रतिदिन के दर से कटौती किया जायेगा।
- (36) कर्मियों को मास्क, टोपी एवं दस्ताना पहनना अनिवार्य होगा, कार्य निष्पादन करने वाले कर्मियों बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए उनको टाइफाईड, संक्रमण एवं अन्य कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, के आलोक में प्रत्येक तीन माह

पर स्वास्थ्य जॉच कराने के पश्चात् स्वस्थ्य होने का स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र संस्थान के सक्षम कार्यालय में जमा करना होगा।


- (37) तकनीकी रूप से सफल होने के पश्चात् यदि कोई संस्था वित्तीय निविदा में L1 दर हो जाता है, के आलोक में उक्त संस्था द्वारा जमा कि गई तकनीकी निविदा के साथ संलग्न प्रमाण—पत्रों के सत्यापन के दौरान नाम/पता वगैरह (निबंधन संख्या में नहीं सिर्फ नाम/पता में) में किसी भी प्रकार कि शब्दों में कुछ गलती लिखा हुआ पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में संस्थान द्वारा संस्था को लिखित अवगत कराने के पश्चात् एकरारनामा होने की तिथि से छः (06) माह के अन्दर संबंधित निर्गत विभाग से नाम एवं पता में सुधार कर कर कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा संस्था द्वारा जमा की गई अग्रधन राशि को जब्त करते हुए एकरारनामा रद्द कर दिया जायेगा तथा L2 दर अंकित करने वाले संस्था को L1 दर पर कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा।
- (38) बाल श्रम तथा अन्य आपराधिक गतिविधि की जानकारी प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुकूल कार्यवाई की जायेगी।
- (39) संस्थान अन्तर्गत संस्था द्वारा रखी एवं लगाई गई सभी प्रकार के (सेवा विस्तार नहीं होने के आलोक में) सामग्री एकरारनामा अवधि समाप्त होने अथवा नये चयनित संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ हाने के पश्चात् 24 घंटे के अन्दर संस्थान से हटाना होगा। तत्पश्चात् ही 36वां माह का विपत्र का भुगतान एवं अग्रधन के रूप में जमा की गयी डिमाण्ड ड्रॉफ्ट वापस किया जायेगा, अन्यथा संस्थान द्वारा सभी सामग्री जब्त करते हुए संस्था/निविदादाता पर प्राथमिकी दर्ज करने सहित कानुनी कार्यवाई की जाएगी, इसके अतिरिक्त संस्था/निविदादाता पर प्राथमिकी दर्ज करने के आलोक में न्यायालय के निर्णय आने की तिथि तक एकरारनामा समाप्त होने की तिथि से रु. 5000/- प्रतिदिन की दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त 36वां माह का विपत्र एवं अग्रधन सहित Performance Security के रूप में जमा की गई डिमाण्ड ड्रॉफ्ट पर अंकित राशि में से कठोरी करने के पश्चात् शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।
- (40) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष बिहार राज्यान्तर्गत सभी स्तर के अस्पतालों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कराई जा रही विभिन्न प्रकार के कार्यों का मूल्यांकन संबंधित अभियान के आलोक में कायाकल्प कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य स्तरीय अवॉर्ड कमिटी से कराई गई बिहार राज्यान्तर्गत सभी स्तर के अस्पतालों के निरीक्षण उपरांत प्रोत्साहन हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर सफल आनेवाले संस्थान को प्रोत्साहित की जाती हैं। यदि यह संस्थान उस दायरे में चयन होता है, के आलोक में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कार्य करने वाले संस्था को संस्थान द्वारा 26 जनवरी अथवा 15 अगस्त जैसे समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष प्रशस्ति पत्र एवं अन्य सामग्री से सम्मानित किया जायेगा।
- (41) आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत की जा रही कार्यों की गुणवता से संबंधित संस्थान के किसी भी पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, प्रभारी पदाधिकारी से की गयी लिखित शिकायत आवेदन पर संस्थान/राज्य स्वास्थ्य समिति/स्वास्थ्य विभाग अथवा सक्षम पदाधिकारी द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा जाँचोंपरान्त दोषी पाये जाने के पश्चात् ही संस्था को दण्डित अथवा आर्थिक दण्ड अथवा कार्यमुक्त किया जायेगा, किसी भी परिस्थिति में बिना जाँचोंपरान्त संस्था पर कोई कार्यवाही नहीं किया जायेगा।
- (42) संस्था द्वारा तकनीकी/वित्तीय निविदा खोलने के बाद यदि संस्था अपना तकनीकी/वित्तीय निविदा वापस लेना चाहते हैं तो वापस ले सकते हैं, परन्तु कार्यादेश प्राप्त करने के पश्चात् संस्था अपना कार्य प्रारम्भ नहीं करती है तो उक्त परिस्थिति में अग्रधन के रूप में संस्था द्वारा जमा किया गया अग्रधन राशि संस्थान द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।
- (43) कार्यों को सुचारू रूप से संचालन से संबंधित भिन्न-भिन्न प्रकार के सामग्री का रख-रखाव एवं कर्मियों, श्रमिकों को रहने हेतु संस्थान द्वारा temporary कमरा अथवा सेड उपलब्ध कराया जायेगा, किसी भी परिस्थिति में निविदादाता द्वारा परिसर अथवा भवन के अन्दर कोई भी स्थाई निर्माण संबंधित कार्य अपने स्तर से नहीं कराया जायेगा।

नोट :-

- (01) निविदादाताओं को निर्देश दिया जाता है की तकनीकी निविदा में मांगे गए उपरोक्त कागजात के अतिरिक्त अन्य कोई भी कागजात संलग्न नहीं करेंगे एवं शपथ—पत्र क्रमवारनुकूल अलग—अलग बना होना चाहिए, यदि निविदादाता द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, तो उक्त परिस्थिति में उक्त निविदादाता का निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (02) जिस संस्था पर बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी स्तर के किसी भी विभाग/कार्यालय/संस्थान/स्वास्थ्य संस्थान में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (आउट-सोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार-बार मौखिक अथवा लिखित के बावजूद संस्था द्वारा कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारियों


द्वारा तीन या उससे अधिक बार कार्यादेश/एकरारनामा रद्द किया गया हो अथवा स्वास्थ्य संस्थान, विभाग, कार्यालय, संस्थानों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार संस्था से मांगी गई स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्टीकरण को दरकिनार कर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया हो अथवा किसी कारणवश मांगी गई स्पष्टीकरण के तहत संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोष होने के आलोक में तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा किसी भी कारणवश तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा छल से निविदाशर्तोनुकूल क्रमवार कागजातों को दरकिनार कर कई कागजात तकनीकी आवेदन के साथ संलग्न किये बिना निविदा में सफल होने का आरोप लगा हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण-पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम विभाग/सक्षम कार्यालय/सक्षम संस्थान द्वारा किया गया सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप लगा हो) नहीं लगा हो तो उक्त परिस्थिति में वैसी आरोपित संस्था इस निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।

- (03) संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों में से किसी की मृत्यु हो गई हो अथवा किसी कारणवश संस्था से निकाल दिये गये हों अथवा सदस्यता का परित्याग कर दिया हो, के आलोक में संस्था द्वारा पदधारक/सदस्यों के रिक्त पद पर (सक्षम विभाग द्वारा निर्गत अनुमति प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि से पहले का पत्र निर्गत हो) किसी अन्य व्यक्ति को पदस्थापन/Amendment नहीं कराया गया है अथवा यदि संस्था के पद अकारण रिक्त हो तो उक्त परिस्थिति में वैसी संस्था निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
- (04) सभी शपथ-पत्र (निविदादाता सहित संस्था के सभी पद के पदधारक एवं सदस्यों द्वारा) निविदा शर्त के साथ संलग्न शपथ-पत्र, संस्था द्वारा शपथ-पत्र संबंधित प्रारूप में हीं (कम्प्युटरीकृत अंकित) भर कर अपने निविदा आवेदन के साथ देना होगा, निविदादाता, पदधारक एवं सदस्यों द्वारा किसी भी परिस्थिति में शपथ-पत्र प्रारूप में एक भी शब्द संशोधन नहीं किया जायेगा, के आलोक में एक भी शब्दों का संशोधन करने संबंधित साक्ष्य प्राप्त होने पर उक्त संस्था का तकनीकी निविदा रद्द कर दी जाएगी।
- (05) निविदा आवेदन के साथ सभी शर्तों से संबंधित प्रमाण-पत्रों की स्व० अभिप्राप्ति छाया-प्रति का क्रमवार नम्बरिंग (स्व० अभिप्राप्ति, क्रमवार, नम्बरिंग नहीं होने के कारण उक्त निविदादाता का निविदा आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा) करके निविदा संबंधित सभी कागजातों को लिफाफा में सीलबंद कर जमा करना होगा।
- (06) नोट एवं निविदा में दर्शाई गई सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अनिवार्य समझा जाए, यदि निविदादाता द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता हैं तो उक्त परिस्थिति में संस्था का तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने अथवा कार्यादेश निर्गत होने अथवा एकरारनामा होने के पश्चात् किसी भी समय संस्था द्वारा कि गई उल्लंघन का पता चलता हैं तो उक्त परिस्थिति में कार्यादेश एवं एकरारनामा रद्द करते हुए संस्थान द्वारा की गई सभी भुगतान राशि की वसुली कर सरकारी खजाना में जमा करते हुए संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन एवं Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- (07) निविदा आमंत्रण सूचना के साथ पृष्ठों की क्रमवार संख्या 01 से 23 यानि कुल 23 पृष्ठ है।


01-10-22
निदेशक,

लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना कार्यालय द्वारा वाहय श्रोत के आधार पर संस्था द्वारा भोजन/नास्ता हेतु तैयार एवं अनुमोदनोपरांत प्रस्तुत संलग्न निविदा प्रारूप निविदा निर्धारण समिति के निम्नलिखित हस्ताक्षरित सदस्यों के द्वारा अनुमोदित किया गया। :-

1. डॉ सुभाष चन्द्रा, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना। :- 
01-10-22

2. कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के द्वारा नामित प्रतिनिधि सह सदस्य। :-

3. प्रबंध निदेशक, BMSICL बिहार, पटना के द्वारा नामित प्रतिनिधि सह सदस्य। :-

4. आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि सह सदस्य। :-

5. जिला लेखा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, कार्यालय, पटना अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि सह सदस्य। :-

01.10.22

6. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि सह सदस्य। :-

~~Aruneshwar~~
01/10/2022

7. श्रम अधीक्षक, पटना अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि सह सदस्य। :-

01/10/22

8. राज्य कर संयुक्त आयुक्त, पटना के द्वारा नामित प्रतिनिधि सह सदस्य। :-

1/10/22
1/10/22

9. डॉ० शिवेन्द्र कुमार सिंह, परामर्शी हड्डी रोग सह सदस्य एल० एन० जे० पी०, अस्पताल, पटना। :-

1/10/22

10. डॉ० सरसिज नयनम, रेजिडेंट सह सदस्य, एल० एन० जे० पी०, अस्पताल, पटना। :-

1/10/22

11. डॉ० मनीष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी सह सदस्य, एल० एन० जे० पी०, अस्पताल, पटना। :-

Sandeep
01-10-22
निदेशक,

लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

तकनीकी निविदा का प्रारूप

अम्ब सं०	प्रमाण पत्रों, ड्रॉफ्ट एवं शपथ पत्रों की पूरी विवरणी	निबंधन सं०/पत्रांक सं०/अन्य संख्या वगैरह	कार्यालय द्वारा निर्गत तिथि	कागजातों का क्रमवार क्रमांक	कागजातों की कुल संख्या
01	तकनीकी निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक) सहित प्रारूप।			01 To	
02	संस्था का निबंधन प्रमाण—पत्र।			To	
03	अग्रधन राशि, 01,00,000 / रूपये का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट।			To	
04	ESIC निबंधन प्रमाण—पत्र।			To	
05	EPF निबंधन प्रमाण—पत्र।			To	
06	बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट “1953” के अधीन निबंधन प्रमाण—पत्र।			To	
07	पैन कार्ड की प्रति।		X	To	
08	GST निबंधन प्रमाण—पत्र।			To	
09	उद्योग विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन निबंधन प्रमाण—पत्र।			To	
10	खाद्य अनुज्ञाप्ति निबंधन प्रमाण—पत्र।			To	
11	Solvency Certificate/ DD 1,00,000/- लाख रूपये का।			To	
12	Current / C.C.Account बैंक एकाउन्ट नं० सहित।			To	
13	विगत तीन वर्षों (Assessment Year) का आयकर रिटर्न की प्रति।	2019-20 :- 2020-21 :- 2021-22 :-		To To To	
14	विगत तीन वर्षों Financial Year का मिलाकर कुल टर्न ओवर 2,50,00,000/- (दो करोड़ पच्चास लाख) रूपये की प्रति।	2018-19 :- 2019-20 :- 2020-21 :-		To To To	
15	संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (पदधारक एवं सदस्यों का पदनाम सहित अलग—अलग शपथ—पत्र बना होना चाहिए) पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय या थाना में वाद लम्बित नहीं है एवं ना ही किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।			To	
16	संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (पदधारक एवं सदस्यों का पदनाम सहित अलग—अलग शपथ—पत्र बना होना चाहिए) पर निविदा प्रकाशन के पिछले माह तक देश के किसी भी राज्य में सरकारी/अर्द्धसरकारी बिजली बिल/मकान कर का भुगतान लम्बित नहीं है।			To	
17	संस्था पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं है एवं ना ही किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है एवं ना ही किसी भी न्यायालय में वाद/सुनवाई के क्रम/हस्तक्षेप पर कार्यादेश/एकारणामा रद्द किया गया है तथा ना ही संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है।			To	
18	संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों का आवास (स्थाई/अस्थाई, जो वर्तमान जिला में आवास है) का अद्यतन आवासीय (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) प्रमाण—पत्र।			To	
19	संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (स्थाई/अस्थाई, जो वर्तमान जिला में आवास है) का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण—पत्र।			To	
20	संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों का आधार कार्ड प्रति।		X	To	
21	संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों का पैन कार्ड की प्रति।		X	To	

22	श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक कर्मी एक दिन के एक पाली यानी (8 घंटा) ही कार्य करेंगे एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित मानदेय / मजदूरी, दर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कर्मियों को कर्मियों के बैंक खाता में मानदेय / मजदूरी, का भुगतान करने सहित दूसरे सप्ताह के अंदर ESIC, EPF वगैरह की कुल राशि संबंधित विभाग में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा, तत्पश्चात् ही संस्था द्वारा जमा किया गया संबंधित माह का विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।	To		
23	संस्था के सभी पदधारक एवं सदस्यों (पदधारक एवं सदस्यों का पदनाम सहित अलग-अलग शपथ-पत्र बना होना चाहिए) द्वारा शराब निर्माण / बिक्री / परिचालन या उपभोग एवं ना ही दहेज लेने एवं देने में संलिप्तता की बात प्रकाश में आती है तो तत्काल संस्था का एकरारनामा रद्द करते हुए संस्थान द्वारा संस्था को अगले दस वर्षों तक काली सूची में डालने का अधिकार होगा।	To		
24	संस्था द्वारा बिहार श्रम नियमावली के अन्तर्गत राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा अधिनियमित श्रम अधिनियमियों के अन्तर्गत विहित प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।	To		
25	संस्था पर बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार / बिहार सरकार के किसी भी स्तर के किसी भी विभाग / कार्यालय / संस्थान / स्वास्थ्य संस्थान में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (आउट-सोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार-बार मौखिक अथवा लिखित के बावजूद संस्था द्वारा कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार कार्यादेश / एकरारनामा रद्द किया गया हो अथवा स्वास्थ्य संस्थान, विभाग, कार्यालय, संस्थानों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार संस्था से मांगी गई स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्टीकरण को दरकिनार कर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया हो अथवा किसी कारणवश मांगी गई स्पष्टीकरण के तहत संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोष होने के आलोक में तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा किसी भी कारणवश तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा छल से निविदाशर्तोनुकूल क्रमवार कागजातों को दरकिनार कर कई कागजात तकनीकी आवेदन के साथ संलग्न किये बिना निविदा में सफल होने का आरोप लगा हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों / प्रमाण-पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों / सक्षम विभाग / सक्षम कार्यालय / सक्षम संस्थान द्वारा किया गया सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप लगा हो) नहीं लगा हो।	To		
				कुल योग:-

निविदादाता की पूर्ण विवरणी

01	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का पूरा नाम :—	
02	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का पूरा पता :—	
03	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का पद नाम :—	
04	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का पूरा नाम :—	
05	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का जन्म तिथि :—	
06	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता के पिता का नाम :—	
07	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का पैन नं० :—	
08	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का आधार नं० :—	
09	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का मोबाइल नं० :—	

निविदादाता का हस्ताक्षर :—

निविदादाता का पूरा नाम :—

निविदादाता का पदनाम :—

संस्था का नाम :—

Sardar
01-10-22

वित्तीय निविदा का प्रारूप

अंतःकक्ष भर्ती रोगियों को निम्न मेनू के आधार पर भोजन/नास्ता उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यों की विवरणी निम्नलिखित है :-		प्रतिदिन प्रतिरोगी का एकमुश्त दर :-
सुबह में 7AM TO 8AM	पावरोटी 02 पीस या रोटी 02 पीस (50 ग्राम) (Aluminum foil में), फुला हुआ छुहारा 01 पीस, सूजी (गड़ी का बुरादा 05 ग्राम, काजू का टुकड़ा 05 ग्राम, छुहारा का टुकड़ा 05 ग्राम, किशमिश 05 ग्राम सहित सूजी, जो शुद्ध धी में बना होना चाहिए) का हलवा 100 ग्राम, चना या चना दाल डाला हुआ कदू/नेनुआ या मिक्स हरी सब्जी (बिना मसाला डाला हुआ पंच फोरोन पर बना) सब्जी 100 ग्राम, फुला हुआ अंकुरित हरा मुंग 50 ग्राम, फ्राई किया हुआ हरा मिर्च 02 पीस, चाय 01 कप एवं अंडा 01 पीस/(अंडा नहीं खाने वालों के लिए मौसमी फल) जैसे—केला 02 पीस या सेव 100 ग्राम या संतरा 100 ग्राम या अंगुर 100 ग्राम या पपीता 100 ग्राम।	
दोपहर में 12AM TO 1PM	रोटी 02 पीस (50 ग्राम) (Aluminum foil में), चावल 100 ग्राम, (कतरनी/बासमती चावल), दाल यथा—सोमवार—चना, मंगलवार—अरहर, बुधवार—मुंग, गुरुवार—मसुर, शुक्रवार—राजमा, शनिवार—मिक्स दाल अथवा खिचड़ी, रविवार—बेसन कड़ी, बड़ी (01) पीस (कड़ी पत्ता, हींग, दही सहित पंच फोरोन से छौका हुआ) 100 ग्राम सहित उड्ढ दही बड़ा (अदरक, हींग, खड़ा गोलकी मिर्च, हरा मिर्च एवं धनीया का पत्ता सहित उड़द) 01 पीस 15 ग्राम, सीजनल मिक्स हरी सब्जी (साग डाला हुआ) मिक्स हरी 100 ग्राम, लिज्जत पापड हॉफ पीस, (डिब्बावाला अथवा बिना डिब्बावाला दुध का जमाई गई गाढ़ी दही) दही 50 ग्राम, पुदीना/धनीया का पत्ता/आँवला की चटनी 02 चम्मच, फ्राई किया हुआ हरा मिर्च 02 पीस, नींबू हॉफ पीस एवं सलाद 100 ग्राम।	
शाम में 4PM TO 5PM	आरारोट बिस्कुट 02 पीस, हल्का मसाला में फ्राई किया हुआ फुला अंकुरित चना 50 ग्राम, रोग प्रतिरोधक क्षमता वेजिटेबल (टमाटर, पालक, गाजर, चुकंदर, लहसुन, अदरक, आँवला, जीरा, अजवाइन गोलकी मिर्च, लौंग, दालचीनी, तुलसी पत्ता, तेज पत्ता एवं गुड़ को मिलाकर) 01 कप यानि 50 ग्राम जूस या कोई रोगी चाय पीने की इच्छा जाहीर करता है तो उसे वेजिटेबल जूस के बदले 01 कप यानि 50 ग्राम चाय देना होगा।	
रात में 7PM TO 8PM	रोटी 02 पीस (50 ग्राम) (Aluminum foil में), दुध 500 ग्राम (सुधा या अमूल पॉकेट वाला) चीनी/गुड़ भूरा 25 ग्राम, सीजनल मिक्स हरी सब्जी 100 ग्राम, फ्राई किया हुआ हरा मिर्च 02 पीस एवं सलाद 100 ग्राम।	

नोट:- (01) रोगी के रोग को ध्यान में रखते हुए रोगी के हित में चिकित्सक के परामर्श के अनुकूल निर्धारित मेनू में फेर—बदल किया जा सकता है।

(02) रोगी के हित में सामग्रियों को बनाने में धी, तेल एवं मसाला का मात्रा कम से कम होना चाहिए।

निविदादाता का हस्ताक्षर :-

निविदादाता का पूरा नाम :-

निविदादाता का पदनाम :-

निविदादाता का पैन नं :-

निविदादाता का आधार नं :-

संस्था का नाम :-

*Banda
01-10-22*

सेवा में,


समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,.....

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 15 के आलोक में)

- मैं जन्मतिथि—.....
 पिता—..... माता—.....
 पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर) मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....
 पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....
 जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।
 पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर) मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....
 पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....
 जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।
 (01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता / करती हूँ।
 (02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की मैं
 संस्था..... में
 (पदधारक का पदनाम) के पद पर हूँ।
 (03) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की
 मेरे नाम पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं है एवं ना हीं
 किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।
 (04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे
 निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत
 पाई जाती है तो संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन एवं Performance
 Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही
 करने हेतु स्वतंत्र हैं।

शपथ कर्ता


Shashikant Chaudhary
1-10-22

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी.....

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 16 के आलोक में)

मैं..... जन्मतिथि—.....

पिता—..... माता.....

पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर)..... मुहल्ला—..... वार्ड नं0—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर)..... मुहल्ला—..... वार्ड नं0—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशेहवास में करता / करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की मैं संस्था..... में

(पदधारक का पदनाम)..... के पद पर हूँ।

(03) मैं..... शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की मेरे नाम पर निविदा प्रकाशन के पिछले माह तक देश के किसी भी राज्य में सरकारी / अर्द्धसरकारी बिजली बिल / मकान कर का भुगतान लम्बित नहीं है।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है तो संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन एवं Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

शपथ कर्ता

B. Sonoda
1-10-22

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 17 के आलोक में)

मैं जन्मतिथि—.....

पिता—..... माता—.....

पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर) मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर) मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता / करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की मैं

संस्था में

(पदधारक का पदनाम) के पद पर हूँ।

(03) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की संस्था पर किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं है एवं ना ही किसी भी मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है एवं ना ही किसी भी न्यायालय में वाद / सुनवाई के क्रम / हस्तक्षेप पर कार्यादेश / एकरारनामा रद्द किया गया है तथा ना ही संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है,

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है तो संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन एवं Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

शपथ कर्ता

Bordha
1-10-22

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी.....

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 22 के आलोक में)

मैं जन्मतिथि—.....

पिता—..... माता—.....

पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर) मुहल्ला— वार्ड नं०—.....

पोस्ट— प्रखण्ड— थाना— अनुमण्डल—.....

जिला— राज्य— में रहता / रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर) मुहल्ला— वार्ड नं०—.....

पोस्ट— प्रखण्ड— थाना— अनुमण्डल—.....

जिला— राज्य— में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशेहवास में करता / करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की मैं
संस्था में

(पदधारक का पदनाम) के पद पर हूँ।

(03) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की

श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक कर्मी एक दिन के एक पाली यानी (8 घंटा) ही कार्य करेंगे एवं
श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित
मानदेय / मजदूरी, दर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कर्मियों को कर्मियों के बैंक खाता में
मानदेय / मजदूरी, का भुगतान करने सहित दूसरे सप्ताह के अंदर ESIC, EPF वगैरह की कुल राशि
संबंधित विभाग में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा, तत्पश्चात् ही संस्था द्वारा जमा किया गया
संबंधित माह का विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे
निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत
पाई जाती है तो संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन एवं Performance
Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही
करने हेतु स्वतंत्र हैं।

शपथ कर्ता

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी,.....

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 23 के आलोक में)

मैं जन्मतिथि—.....

पिता—..... माता—.....

पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर) मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर) मुहल्ला—..... वार्ड नं०—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता / करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की मैं

संस्था..... में

(पदधारक का पदनाम) के पद पर हूँ।

(03) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की मेरे द्वारा शराब निर्माण / बिक्री / परिचालन या उपभोग एवं ना हीं दहेज लेने एवं देने में संलिप्तता की बात प्रकाश में आती है तो तत्काल संस्था का एकरानामा रद्द करते हुए संस्थान द्वारा संस्था को अगले दस वर्षों तक काली सूची में डालने का अधिकार होगा।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है तो संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन एवं Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

शपथ कर्ता

*Bancha
1-10-22*

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी.....

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 24 के आलोक में)

मैं जन्मतिथि—.....

पिता—..... माता—.....

पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर)..... मुहल्ला—..... वार्ड नं0—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर)..... मुहल्ला—..... वार्ड नं0—.....

पोस्ट—..... प्रखण्ड—..... थाना—..... अनुमण्डल—.....

जिला—..... राज्य—..... में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशेहवास में करता / करती हूँ।

(02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की मैं संस्था..... में

(पदधारक का पदनाम)..... के पद पर हूँ।

(03) मैं..... शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की संस्था द्वारा बिहार श्रम नियमावली के अन्तर्गत राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा अधिनियमित श्रम अधिनियमियों के अन्तर्गत विहित प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है तो संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन एवं Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

शपथ कर्ता

Bandar
1-10-22

सेवा में,

समक्ष, नोटरी पदाधिकारी.....

शपथ—पत्र

(निविदा शर्त “ख” का क्रमांक 25 के आलोक में)

मैं जन्मतिथि—
 पिता— माता
 पूरा पता, स्थाई (गाँव / शहर) मुहल्ला— वार्ड नं०—
 पोस्ट— प्रखण्ड— थाना— अनुमण्डल—
 जिला— राज्य— में रहता / रहती हूँ।
 पूरा पता, अस्थाई (गाँव / शहर) मुहल्ला— वार्ड नं०—
 पोस्ट— प्रखण्ड— थाना— अनुमण्डल—
 जिला— राज्य— में रहता / रहती हूँ।

(01) मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान अपने होशोहवास में करता / करती हूँ।
 (02) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की मैं
 संस्था में
 (पदधारक का पदनाम) के पद पर हूँ।
 (03) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ की

संस्था पर बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी रत्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार / बिहार सरकार के किसी भी रत्तर के किसी भी विभाग / कार्यालय / संस्थान / स्वास्थ्य संस्थान में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (आउट—सोर्सिंग व्यवस्था से संबंधित कोई भी कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार—बार मौखिक अथवा लिखित के बावजूद संस्था द्वारा कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार कार्यादेश / एकरारनामा रद्द किया गया हो अथवा स्वास्थ्य संस्थान, विभाग, कार्यालय, संस्थानों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार संस्था से मांगी गई स्पष्टीकरण के आलोक में स्पष्टीकरण को दरकिनार कर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया हो अथवा किसी कारणवश मांगी गई स्पष्टीकरण के तहत संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण का जवाब असंतोष होने के आलोक में तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा किसी भी कारणवश तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा छल से निविदाशर्तानुकूल क्रमवार कागजातों को दरकिनार कर कई कागजात तकनीकी आवेदन के साथ संलग्न किये बिना निविदा में सफल होने का आरोप लगा हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों / प्रमाण—पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों / सक्षम विभाग / सक्षम कार्यालय / सक्षम संस्थान द्वारा किया गया सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप लगा हो) नहीं लगा हो।

(04) मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि शपथ—पत्र का पारा 01 से 03 तक के सारे तथ्य मेरे निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। इस शपथ—पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा गलत पाई जाती है तो संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन एवं Performance Security के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमसंगत कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

शपथ कर्ता

Bandha
1-10-22

(23)

~~2000-2~~

निविदाद्यता का हस्ताक्षर :-
निविदाद्यता का पूरा नाम :-

निविदादाता का पदनाम :-

निविदाता का आधार नो :-

16/11/2022



कार्यालय : निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना



Website: www.Injorthohospital.org, E-mail- Injpnhospital@gmail.com

आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत रोगियों को भोजन/नास्ता आपूर्ति हेतु निविदा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अन्तर्गत रोगियों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को बेहतर विकित्ता सुविधा उपलब्ध कराया जाना है, L-II स्तरीय द्रामा सेन्टर सहित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में 24X7 सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के सकल्प सख्ता 648(10) दिनाक 07/02/2015 के निदेशानुसार सरकारी अस्पतालों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत रोगियों को भोजन/नास्ता आपूर्ति हेतु इच्छुक गैर सरकारी संस्थाओं/ कम्पनियों/ फर्मों/ प्रतिष्ठानों/ सर्विस प्रोमाईंडरों/ संयोजकों से कम्प्यूटरीकृत अंकित तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग दो लिफाफों में भर कर एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर व उक्त लिफाफे पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत रोगियों को भोजन/नास्ता आपूर्ति हेतु निविदा स्पष्ट रूप से अंकित कर निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन, अपराह्न पाँच बजे तक सिर्फ निविदा डाक/स्पीड पोस्ट से निविदा प्राप्त की जायेगी, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस को अपराह्न 02.00 बजे निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के कार्यालय कक्ष में निविदा घयन / निर्धारण समिति के समक्ष प्राप्त निविदाएं खोली जायेगी, निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोले जाने के समय उपरिथ्त रह सकते हैं अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जा सकती है। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय शर्तें कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna के नाम से रु 1000/- का डिमाण्ड ब्लॉफ्ट (Non-Refundable) बनाकर एक आवेदन (लेटर पैड पर) के माध्यम से कार्यालय में जमा करने के पश्चात् ही प्राप्त की जा सकती हैं, तत्पश्चात् ही संस्था निविदा डालने के लिए अधिकृत होगें, विस्तृत जानकारी के लिए संस्थान के वेबसाईट www.Injorthohospital.org अथवा www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

सुबह में 7AM TO 8AM	पावरोटी 02 पीस या रोटी 02 पीस (50 ग्राम) (Aluminum foil में), कुला हुआ चुहारा 01 पीस, सूजी (गडी का दुमादा 05 ग्राम, काजू का दुकड़ा 05 ग्राम, चुहारा का दुकड़ा 05 ग्राम, किशमिश 05 ग्राम सहित सूजी, जो मुद्दी धी में बना होना चाहिए) का हलवा 100 ग्राम, चना या चना ढाला ढाला हुआ कटू/नेनुआ या मिक्स हरी सब्जी (दिना मसाला ढाला हुआ पद्ध फोरेन पर बना) सब्जी 100 ग्राम, कुला हुआ अकुरित हरा मुग 50 ग्राम, क्राई किया हुआ हरा मिर्च 02 पीस, धान 01 कप एवं अंडा 01 पीस/ (अंडा नहीं खाने वालों के लिए गौसमी फल) जैरे-केला 02 पीस यां रेव 100 ग्राम या सतरा 100 ग्राम या अंगूर 100 ग्राम या पपीता 100 ग्राम।
दोपहर में 12AM TO 1PM	रोटी 02 पीस (50 ग्राम) (Aluminum foil में), चावल 100 ग्राम, (कलानी/बासमती चावल), ढाल यथा- सोनमदार-चना, नगलदार-अरहर, बुधावार-मुग, गुरुवार-मसूर, शुक्रवार-राजमा, शनिवार-मिक्स ढाल अथवा चिंचडी, शिविर-बेसन कढी, बड़ी (01) पीस (कढी पता, हींग, दही सहित पद्ध फोरेन से छोका हुआ) 100 ग्राम सहित उड्ड दही दही दही (अदरक, हींग, खड़ा गोलकी मिर्च, हरा मिर्च एवं धनीया का पता सहित उड्ड) 01 पीस 15 ग्राम, सीजनल मिक्स हरी सब्जी (साग ढाला हुआ) मिक्स हरी 100 ग्राम, लिज्जत पापड हॉफ पीस, (डिब्बावाला अथवा दिना डिब्बावाला दुध का जमाई गई गाढ़ी दही) दही 50 ग्राम, पुदीना /धनीया का पता/अंबला की चटनी 02 यम्भा, क्राई किया हुआ हरा मिर्च 02 पीस, नीबू हॉफ पीस एवं सलाद 100 ग्राम।
शाम में 4PM TO 5PM	आराट बिस्कुट 02 पीस, हल्का मसाला में क्राई किया हुआ कुला अकुरित चना 50 ग्राम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बेजिटेबल (टमाटर, पालक, माजर, चुकंदर, लहसुन, अदरक, औंबला, जीरा, अजवाइन गोलकी मिर्च, लींग, दलचीनी, तुलसी पता, तेज पता एवं मुँह को मिलाकर) 01 कप यानि 50 ग्राम जूस या कोई रोगी चाय पीने की इच्छा जाहीर करता है तो उसे बेजिटेबल जूस के बदले 01 कप यानि 50 ग्राम चाय देना होगा।
रात में 7PM TO 8PM	रोटी 02 पीस (50 ग्राम) (Aluminum foil में), दुध 500 ग्राम (सुधा या अमूल पॉकेट चाला) धीनी/मुँह भूरा 25 ग्राम, सीजनल मिक्स हरी सब्जी 100 ग्राम, क्राई किया हुआ हरा मिर्च 02 पीस एवं सलाद 100 ग्राम।

(डॉ० सुभाष चंद) निदेशक
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना